1409. <u>hours</u>

Title: Discussion on the Indian Universities (Repeal) Bill, 2000 (Bill passed).

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ.मुरली मनोहर जोशी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये। "

महोदय, यह मई, 1998 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा श्री पी.सी. जैन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था जिसने इस बात का निर्णय किया कि कौन-कौन से अधिनियम अब अपना महत्व खो चुके हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाये, रिपील कर दिया जाये। उसमें जो केन्द्रीय अधिनियम थे, उनमें से एक अधिनियम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी शामिल था। इसकी पृठभूमि यह है कि 1904 में, उस जमाने में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता, इलाहाबाद, लाहौर, मुम्बई और मद्रास, इन पांचों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक अधिनियम बनाया था।

जिसके द्वारा पांचों विश्वविद्यालयों का काम चलता था। लेकिन इधर स्वाधीनता के पश्चात् भी और उसके पहले भी इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग अधिनियम बन गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय का अलग अधिनियम है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अलग अधिनियम है, मुम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों के भी अलग-अलग अधिनियम हैं, अलग-अलग एक्ट्स हैं और ये सभी राज्य सरकारों द्वारा चलते हैं। लाहौर का तो अब इस अधिनियम से संबंध ही नहीं है। यह अधिनियम अब महत्वहीन हो गया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमने राज्य सरकारों से भी परामर्श किया है और उनका भी यह कहना है कि अब यह अधिनियम 1904(8) किसी भी हालत में उपयोग के लिए नहीं है इसलिए इसे निरस्त किया जाए। यह एक निरुपयोगी अधिनियम के रूप में है। इसलिए मैं सदन से सिफारिश करता हूं कि हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और इस अधिनियम को निरस्त किया जाए।

MR. CHAIRMAN : Motion Moved:

"That the Bill to repeal the Indian Universities Act, 1904, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, मुझे मंत्री महोदय से और कुछ नहीं कहना है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है लेकिन निरसन शब्द से आसान शब्द भी तो जोड़ा जा सकता है। वे तो खुद यूनीवर्सिटी के प्रोफैसर हैं, जाने-माने विद्वान हैं। निरसन शब्द इतना कठिन हो जाता है कि अंग्रेजी से भी भारी पड़ जाता है।

डॉ.मुरली मनोहर जोशी : कानून के शब्द का जो वैधानिक अनुवाद है, उसके अनुसार रिपील के लिए कानूनी तौर पर जो अनुवाद किया गया है, वह निरसन है। इसलिए इसे किया है।

SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): Madam, while I accept your suggestion and the suggestion of the hon. Minister, I just want to bring one matter to the notice of the hon. Minister.

Hon. Minister may be aware that the rules, which are there in the Universities, are very complicated. There are people working in the offices; they resign and go for elections. If they lose, then they immediately come back. How far is it correct? I want to ask the hon. Minister about this. If anybody wants to come to politics, let him come. But there is no question of having one leg in the University and another leg in the politics. That is why, the matter has been vitiated in such a level that politics enters into these Universities.

Even though this is not relevant to this Bill, still I want to bring it to the notice of the hon. Minister. This happens in Calcutta, Pondicherry and in other places. So, I request the hon. Minister to apply his mind and see to it that such type of facility is not available.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Madam, the hon. Minister seems to be very enthusiastic in responding to the issue raised by my colleague, Shri Farook. His Party had once tried to do all these things during the Emergency days; not only to stiffle any voice of dissent in public life but also in the Universities and Colleges wherever there have been voices of dissent. His Party had tried to throttle such voices.

Madam, I am in agreement with this piece of legislation, which is the result of the Commission, which was set up to review the administrative laws. It is one of the pieces of legislation which has lost all its relevance and has become outdated. A number of relevant pieces of legislations have already come into operation in all the concerned States like West Bengal, Maharashtra, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.

More so, the Indian Universities Act was a product of the British *raj,* with a specific goal of producing, what in Hindi is called, '*Angrezon ka gulam'.* अंग्रेजों के गुलामों के खिलाफ बिहार में जब संघर्ा चल रहा था, at that very time, in different parts of the country, institutes had been set up as national educational centres. In the eastern part also, one such centre was set up which ultimately turned out to be, what is called today, the Jadhavpur University. Rabindra Nath Tagore, Subhash Chandra Bose, Subodh Mullick and many other eminent educationists have been associated with that university. At the call of Gandhiji, many students left these institutions which were run under the Indian Universities Act. There are so many people but I am not naming them. For example, Dr. Triguna Sen, who had adorned the Chair that you are adorning now, was an eminent Education Minister who was also associated with that University. He was the Chairman of the National Council of the Jadhavpur University for quite some time.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : He was a Professor also.

SHRI RUPCHAND PAL : Yes, you are right. There have been many others also. I am not taking the time of this House because the hon. Minister also knows all these things. What I want to say is that in the post-Independence days, there have been a number of Commissions, such as, the Kothari Commission and many educationists of the stature of Dr. Radhakrishnan. I am not going into the details of all these. The goal of liberal education was considered to be of prime interest for any university in the country. There have been deviations and aberrations , not only during the days of Emergency but in many parts at different times − I am not mentioning all these deviations. But, broadly speaking, we had a national consensus on how to build up this country with an appropriate, relevant, meaningful educational system at all levels − from the primary level to the higher educational level, to the university level, be it science education or technology education. Today, we have a long road to go and today we are producing some best products in the universities, particularly in the IITs and all these institutions, who are dominating not only the Silicon Valley or Germany or any other place, but also different universities of the world. There is not only Prof. Amartya Sen but there is also the son of my esteemed colleague, Prof. Krishna Bose, who is holding a high position in Harvard. There are many others also though I am not naming all of them. But, unfortunately, since this Government came to power, they are, I shall use a hard word, polluting the liberal atmosphere in the centres of excellence, in universities and all these places. They are trying to communalise the education by changing the syllabus with a distorted vision, and committees with specific aims in mind, are being set up only for the prestigious institutions like the Indian Council of Historical Research or the Indian Council of Social Science Research or NCERT and many such eminent bodies. There are blatant moves to plant politically committed teachers in universities at the top administration. This is not only harming the nation's educational interest but is also damaging the prestige of these institutions in the eyes of the people outside.

I could have given you any number of examples. In some of the prestigious universities in U.P. − I am not naming them as it is not proper for me to name them − and even very prestigious centres of excellence in Northern India and even in Delhi there have been persistent attempts to plant committed people with communal vision to give them a re-orientation, with a desired goal to fulfil some hidden agenda.

I think this House has taken up this issue several times. But this Government has not learnt any lesson. I would appeal to some of the partners of this Government who are committed to secularism that they should also stand up and oppose this attempt to communalise the educational system, the universities and attempts to re-write the history in a most heinous manner by planting some people who have nothing to do with history, who are never considered as historians at all by people who matter.

The next thing is about the Budget. Over the years, the budgetary provision for education as such and higher education and research in particular has been a great casualty. I think the hon. Minister will agree with this that there should be some serious thinking for larger provision for these fields. There are many avenues which can be explored. This is not the occasion for me to make all these suggestions. I will make them when we discuss the General Budget and on other occasions.

But education is in doldrums at their hands and particularly so is the case with higher education and research. This is being done particularly when the whole world is looking at us. We have such a vast source of human capital and brains that if properly trained and if proper skills are added to these human resources, we can have a better role to play in the world in the field of education not only in the country but abroad also, in fields of Information Technology, science and many other areas.

But, instead of taking up seriously as to how best to improve the situation in higher education and research, the Government is trying to privatise the whole set of universities. It is going to serve the interests of industrial houses in such a way that the researches are being handed over on a platter to these people instead of those researchers serving a broad national interest. I am not opposed to privatisation. But there are sensitive areas in higher education where private interests will not at all come down to provide the funds. They will look to only such areas where they can derive certain profit for their commercial aims. In such a situation the Government needs to look afresh into the areas of higher education and research. Privatisation is not the way to provide the funds because privatisation will not be able to continue the centres of excellence which are existing either to help them or to improve them further.

There are problems of faculties. I am not naming all of them. It is particularly so in Information Technology. We have a goal to be the super power in Information Technology. But the Information Technology penetration is very less in the country. We are just one step ahead of Pakistan only and we are nowhere when you compare ourselves even not only with the developed Western countries but even the smaller countries of Asia and certain other countries. I mean about the Information Technology penetration here.

We have our best I.T. professionals in Silicon Valley and many other places. We are producing some excellent I.T.

professionals from our I.I.Ts. and such other institutions.

But according to a rough calculation, we are going to face a serious shortage of faculty in IT institutes. So, we have to think of innovative ways so that we can fill the gap because within four or five years from now, we shall not be able to continue our global position of domination if we do not produce a larger number of professionals not only for abroad but also for the domestic requirement. So, there is problem of faculty not only in the field of IT, but there are problems in respect of biotechnology, in respect of frontier sciences, even in areas of fundamental research and in respect of many such areas.

Then, there is a move to rank all universities and colleges within a specified period, maybe by 2003 but I am not sure. Such ranking should be done not according to whims of certain people because there are moves to downgrade institutions of repute who have contributed to the honour, prestige and educational achievement of this country So, it should be more transparent, with a broader and meaningful logic. This ranking should not be done in a haphazard manner.

About the deemed universities, this is a good move that all Centres of Excellence which are not yet recognised as universities should be considered as deemed universities, but consideration as deemed university is one thing and providing necessary funds required by such a university is another thing. There are many universities which are considered to be deemed universities, but there suffering from lack of funds to continue their achievements, to continue their performance as Centres of Excellence is a sad commentary. I am not mentioning any particular institution which I have in mind, but the hon. Minister must know certain such institutes which are considered to be deemed universities.

Then, university teachers in particular are seriously aggrieved about one move, that is, the scheme the National Assessment and Accreditation Council is going ahead with which this Council is not at all competent to do, and the teachers have given a call to reject this scheme of the National Assessment and Accreditation Council.

There is a regional imbalance since the days of Independence till today. Although in the North-East, we do have one Central University currently, but in different parts of the country, there is a regional imbalance in respect of higher education. How quickly this can be rectified should be a matter of prime concern to this Government. I would not like to take much time of this House.

MR. CHAIRMAN : We have just one hour for discussion on this Bill.

SHRI RUPCHAND PAL : I am concluding.

I am totally opposed to the Government's planned attempts to perpetuate and carry forward their hidden agenda of communalising the educational institutes, communalising the syllabus, and trying to rewrite the history of this country. The Government has no right thinking about how these universities should be run, and adequate funds are not provided for higher education, for research and for Centres of Excellence.

The Government should reconsider all this and when they come with their Demands-for-Grants in the next Budget, I believe and hope that this Government would try to apply their mind to rectify distortions and correct whatever mistakes they have already done, and provide better facilities for liberal atmosphere in the centres of higher education.

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Madam Chairperson, I rise to support the Indian Universities (Repeal) Bill, 2000. This is an old Act. It was enacted in the year 1904, and it has no relevance now. It should have been repealed long back. The hon. Minister has chosen to repeal it now, and it is a welcome sign.

I take this opportunity to say a few words about university education. I support the views expressed by Shri Rupchand Pal. Today, the university education is nothing but a mediocre one. I say this because many of the universities do not have even the basic facilities to affiliate colleges, to guide them, to decide and prepare the syllabus that is required and how it is to be tailored to meet the present needs.

The U.G.C. and the A.I.C.T.E. are guiding the universities, but they do not have proper machinery to evaluate the competence of each university. Perhaps, the grants are being given depending upon the voluminous of work that they do rather than on the basis of qualitative research. The affiliated colleges are suffering because they are affiliated to such universities. This is high time that in the matter of higher learning the universities should be guided to achieve the excellence and to take up research work so that our country's needs are met by these universities. These universities, depending upon their research activities, students and teachers' ratio and their excellence, should be given ranking which will, at least, motivate these universities. If they are lower in ranking, they will say, "No, no, we are lower in the ranking." Just as we give rankings to the students, it is high time that we give rankings to the universities also.

The University Act recently recognised some institutions as deemed universities. The whole thing, at the level of higher education, is confusing because we do not know what the actual requirement is and which are considered as deemed universities. Very simple requirements have been given for the deemed universities. Some are being recognised as deemed universities without considering their competence. Ultimately, when they become deemed universities, they give the degrees. The degrees that are being given by these universities must have some value. They must be in relation to the education that they offer and the jobs which the students get. We have liberalised the higher education. We are not against this liberalisation because the Government cannot afford to foot the huge bills on higher education. At the same time, research activities should be sustained, and they should be maintained.

In the case of A.I.C.T.E., whoever applies, maybe due to pressure, be it political or some other pressure, they grant so many colleges. Each State is now competing to establish more colleges to impart technical education. Ultimately, such colleges are becoming a kind of a mockery because they do not have teachers and infrastructure. Still, they are pressurising the universities to award degrees and that degree has no value. Ultimately, our country will suffer because of this.

Sir, we are promoting and encouraging our IT graduates to go abroad. But unfortunately, many of them have to come back. It is because they are not able to withstand the tests there. Once they fail to withstand the tests in other countries, it reflects on the university from where they got their degrees. If such is the situation, then the country as a whole would lose their academic reputation very fast.

Sir, since the hon. Minister is a learned Professor himself and is aware of the ins and outs of higher education, I would like to request him to take such measures that would help in keeping up the standards of higher education in this country. The under graduate and post-graduate degrees that are given by the Indian Universities should have some value. Today we only value the degrees given by institutes like the IITs and the IIMs only. Why is it so? It is because these institutes maintain high standards of education. Why is it not the case with other universities? These universities also receive huge sums of money asGrants-in-Aid. But they are not able to compete with the IITs and the IIMs.

Sir, I would like to request the hon. Minister to keep these aspects in mind while preparing the Budget for the Universities and these thoughts should also be given proper ventilation while allocating funds to the Universities -- our dignity is related to the standard of our education − so that the level of our education is kept high.

Sir, with these words, I support the University (Repeal) Bill.

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : सभापति महोदय, विद्वान मंत्री डा. जोशी जी ने जो भारतीय विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ही आ जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें लाहौर विश्वविद्यालय अभी तक सम्मिलित है। यह विधेयक जिनको लाना चाहिए था वे इसे नहीं लाए। उन लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए था। यह सरकार जो इस प्रकार के निरसन विधेयकों को निरसन करने के लिए इस सदन में ला रही है इसका सभी को समर्थन करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे एक कम्युनिस्ट सांसद भाई जो यहां बोले, उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास को नये सिरे से लिखा जा रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के साथ मिलकर जिस गलत इतिहास को आपने रचा है उसमें सुधार की आवश्यकता थी और सही इतिहास इस देश का लिखा जाना आवश्यक था और वह लिखा जाना चाहिए। कम्युनिस्टों को भारत के इतिहास की क्या आवश्यकता है, यह तो विदेशी इतिहासकारों से प्रेरणा लेने वाले हैं लेकिन इस देश के लोगों के लिए यह जरूरी है कि सही इतिहास लिखा जाए।

उन्होंने कहा कि उच्च-शिक्षा में सुधार नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जब से डा. जोशी जी इस विभाग में आये हैं तब से उच्च-शिक्षा में जो सुधार और पारदर्शिता आयी है उसकी पूरी देश प्रशंसा कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संपूर्ण देश में फैले हुए विश्वविद्यालयों के अंदर शिक्षा में एकरूपता लाने की आ वश्यकता है।

भाा अलग हो सकती है लेकिन शिक्षा में एकरूपता आये, माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिये। महामना मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की और मैं उसी काशी नगरी से आता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्िात करना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में महामना की उन भा वनाओं को कोई स्थान नहीं मिल रहा है और वहां तानाशाही प्रवृत्तियां पनप गई हैं, लोकतांत्रिक ढांचे को कुचला जा रहा है। यहां तक कि न्यायालय के आदेशों का समय से पालन नहीं किया जा रहा है। छात्रों का अकारण निकासन, तानाशाही प्रवृत्ति से विश्वविधालय चलाना ठीक नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये एक नया विधेयक लेकर आये और उसमें प्रजातांत्रिक ढांचे को स्थान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय डा. जोशी जी द्वारा लाये गये भारतीय विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। डा. जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे गुरु रहे हैं जो प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक रहा है। इसके अलावा कोलकाता, मुम्बई और मद्रास (चेन्नई) भी प्राचीन विश्वविद्यालय हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस देश को प्रधानमंत्री, राट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज आदि दिये हैं। इसके अलावा हमारे वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री को भी दिया है। इस प्रकार हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से महान् विभूतियां निकली हैं। साथ ही बड़े बड़े. आई.ए.एस अधिकारी, उच्च न्यायालय के जज यहां पढ़े हुये हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक लाख छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं डा. जोशी से अपने गुरु होने के नाते अनुरोध करूंगा कि वह इलाहाबाद को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के अलावा देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालयो को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का विधेयक लेकर आयें, यह मेरी सरकार से मांग है।

सभापति महोदय, आज विश्वविद्यालयों में लगातार फीस बढ़ाई जा रही है। छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। गांव में रहने वाले छात्र इतनी फीस देने में असमर्थ हैं

जबकि शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग भी फीस नहीं दे पाते हैं। मेरा निवेदन है कि देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाये और शिक्षा को महंगा न किया जाये। इस देश में शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि गांवों से प्रतिभायें निकलकर शहरों की ओर आ रही हैं। निचले तबके के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न किया जाये। मैं अनुरोध करता हूं कि फीसें नहीं बढ़ाई जायें। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जिस प्रकार पानी और हवा मुफ्त मिलती है, उसी प्रकार शिक्षा को मुफ्त किया जाना चाहिये। जिस प्रकार से केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार विश्वविद्यालयों की शिक्षा को भी मुफ्त किया जाये।

आशा है कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री उन पर गौर करेंगे ।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Madam, Chairperson, going by the present Bill, one certainly can raise no objection thereto but when a matter of this importance was raised in this House, we did expect from the hon. Minister not to just refer to the obsolescence of the Act which he wants to repeal but to throw some light on as to what the Government intends to do to strengthen the universities in the country which unfortunately, it is not presently doing.

Madam, it has been said before me by the hon. Members speaking here and I do wish to join them in conveying my views over the matter that the Government of the day has started treating education also as a commodity. In its anxiety to liberalise, to open the economy, to privatise, it could not care less for what happens to education.

Many years back in one of the meetings of the Consultative Committee, the then hon. Minister of Human Resource Development had categorically said that if the universities were to raise some internal resources those would not be taken into consideration or could not be taken into account at the time of disbursement of the Central grants. But what do we see today? I would like to give a homely example, Madam. The Punjab University is one of the premier universities of the country. At the time of reorganisation of the State of Punjab in 1966, under the Reorganisation Act, it was termed as an Inter-State Body Corporate, and according to the stipulations then, according to the decisions of the Consultative Committee formed by the Government, it was decided later in 1976 after the Haryana Government had withdrawn its colleges from that University that the States of Punjab and Chandigarh Union Territory would pay 40 per cent and 60 for cent of the deficit, of the maintenance cost of the university.

For quite a few years, they both honoured that decision. Subsequently, somehow more particularly and unfortunately, after the Akali Government had taken over in the State of Punjab, they stopped honouring their commitment.

In the recent years alone, when the maintenance amount to be incurred by the university is to the tune of Rs. 73 crore, the Punjab Government just chooses to say, "We would not pay this amount." Taking the from the Punjab Government, the Union Territory Administration which is directly under the Central Government also says, "Our liability is to only pay one and a half times what the Pujab Government pays." Is this the treatment to be meted out to the Universities? The Punjab University's Chancellorship is with the Vice-President of the country. It is an Inter-State Corporate Body. So, is it not the responsibility of the Government of India to see that the University does not flounder, that the University does not go red? Certainly, its is their reponsibility. If there were instructions by the University Grants Commission to effect economy, that is fine. If the University Grants Commission were to say, "you try to generate resources", that is fine.

But there was a commitment of the Government of India that that would not be taken away from the ultimate grants for the University. The Punjab University, I can say, has been taking this innovative step.

I do not approve of privatisation of the education even at the university level. Madam, there is certainly a fall in the standard of education today. Take the case of admisskions under the category of NRI students. You admit students who are not upto the mark. The universities have to be centres of excellence but you want to generate money and earn money. Therefore, you sell the certificates. Anybody who comes and pays that amount, you say, "you get the admission." But it has proven to create a very negative impact especially on the brighter students who cannot pay. So, they are not able to get admission in the oen category. In their place, you get somebody who has not even come upto the mark, and who is a drag subsequently also on the entire class. I am saying this out of experience. Such students are a drag on the class. Dr. Joshi would appreciate that. If a teacher takes a class and he finds one student who is against the paid seat quota in the university and who is not really following the pace with others, certainly, the progress of the class would not be what it could be with the brighter students there.

So, you are forcing the universities to admit students who are not up to the mark. These are the things that have to be given up.

I would very briefly refer to the Research Fund of the Punjab University. Out of the entire expenditure, eighty per cent goes on salaries alone. The University wanting to do well had started a Research Fund of its own putting it in money it had raised from its own resources. Now, the University, faced with a situation where the Punjab Government and the Union Territory Administration are not honouring their commitments, cannot keep that money separately for research but has to use it for general expenditure.. The University is in a precarious condition because of the indifference of the Government of India.

The University has been writing to the Government of India to come to its rescue. These are nothing but SOS calls from the University. I would be grateful if the hon. Minister were to tell us the steps that the Ministry has taken and assure us that the University would continue to work as it always has and would continue to shine as it always has. Unfortunately that is not the position.

A reference was made about privatisation. On the one hand, one can understand that if a private body were to start a dental college they would charge lakhs and lakhs of rupees. A private medical college would also charge lakhs and lakhs of rupees. Those colleges can run because it is a financial proposition for them. The Government might wash off its hands from such institutions. Not necessarily because the poor students must be accommodated, but in the case of social sciences and subjects for which nobody would be willing to pay, this cannot be done. You talk of the need to enhance research in bio-diversity. If you were to give that to the private sector, would a poor student be able to afford that? Therefore, it is universities like the Punjab University that really play a very vital role in fulfilling social obligations. Education has to be imparted by the Government. It is not to be sold by the Government. The Government cannot be termed a peddler of education. Unfortunately, it is doing so today and we take serious objection to that. I would urge the hon. Minister to assure this House and through this House assure the country that it means business. I am sure, as an educationist, the hon. Minister would want to do it. Maybe there is pressure from the Ministry of Finance and other Ministries but here he has to hold his ground.

I would like to refer to the on-going long-drawn struggle of the university and college teachers in Delhi. There was an assurance to them by the UGC at one point of time to treat them as university lecturers and accord them the necessary benefits of promotion and pay scales, etc. The Government seems to be going back on that also. I would like to request the hon. Minister to look into this matter with an open mind and ensure that the teachers get what they had been promised.

Finally, to conclude, I would like to come back to the subject on which I have spoken for a few minutes, that is, the poor condition in which the Punjab University finds itself today. It is not of its own making ; it is only because of the failure to honour the commitment by the Chandigarh Administration through the Government of India and the Government of Punjab. I would request the hon. Minister to take immediate urgent action in the matter.

डॉ.रामकृण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति महोदया, डॉ. जोशी जी द्वारा प्रस्तुत भारतीय् विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2000 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

1454 बजे (डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए)

इस विधेयक के द्वारा जहां भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में एकरूपता आएगी, वहीं इसके अंतर्गत जो लाहौर विश्वविद्यालय इसमें सम्मिलित था, वह निरसन के कारण इससे अलग होगा।

जहां पर अभी तक इसके पूर्व में जिन्होंने लगातार इस देश के ऊपर राज किया है, उनकी निगाह इधर नहीं पहुंची, आदरणीय डाक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की पैनी निगाह होने के कारण उन्होंने इस बात को देखा और भारत के संविधान के अनुरुप उसे जो एक नया रूप प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इस संशोधन का, निरसन विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Respected Chairman, Sir, even though this Bill is a necessity for removing one of the Statutes pending for the past 96 years, it would have become a century-old Act if it is allowed to remain as it is for another four years.

Actually this Bill is a pioneering Bill, which gives a lot of ideas for the State Governments to enact University Bills. Therefore, having such Bills at the national level is also a need to give guidance for State Governments to enact laws according to the needs of the society. Therefore, I would like to submit that the hon. Minister might have to give some thought about this and enact a comprehensive Bill, which can be a model for all the universities throughout India. Every university is controlled by the State enactment that is having different rules and regulations fitted to their own needs. Actually there may be a lot of things that may not be of use for academic excellence. Therefore, we should have a comprehensive Bill that may be a guide for all other universities. The Central Government can have a very good thing having all the resources here, to find out the needs suited for the 21st century. The Bill should have such things that would help universities to come up to the level of excellence at the international level.

The Madras University was actually formed by this Act. This University is now accredited with five stars. It is expecting the Excellent University Certificate also from the University Grants Commission. The Madras University is having such a name throughout the world. Now, they have the pioneering work of having a Consultancy Department separately.

Now, education is made as a commercial commodity. Instead of making it that way, it should be made as a community-based education. If there is an industry that needs management people, if the industry wants chemists, if the industry wants engineers or if the industry wants certain excellent people, then that need should be fulfilled by

the universities. There should be such an arrangement of wedding between them. That is the need of the hour.

Plenty of graduates are coming out; plenty of post-graduates are coming out and plenty of research scholars are coming out, and they are also enrolling as unemployed graduates or unemployed post-graduates or unemployed doctorates. Therefore, this imbalance has to be removed, especially when the UGC has spent crores of rupees for the resource development. To whom such a resource development is being used?

The excellent people who have come out of universities are going to Western countries. They are not being utilised by our country. They are going out simply. Without even a pie being paid for their development on educational side and for their excellence, the Western countries are borrowing our experts. The Western countries are borrowing our intellectual people; they are getting all the intellectuals. People are doing a lot of research and get patents. We can easily find out the patents that are there in India and in the Western countries. The intellectuals in the Western countries are all Indians.

15.00 hrs.

Therefore, we are supplying the intellectuals to the Western countries without getting even a single pie from them. This situation has to be checked. We have to see that excellent people are given opportunities in India itself in order to make our country competitive in the world. This aspect has to be gone into. When this Bill came into force 96 years before, they did not have that ambition. They were having colonial ambition. They wanted to have us as their servants, but we are not having that attitude now. We want to be excellent in the world. Therefore, this could be repealed. But a new Bill has to be brought about so that it could be useful for others.

Many institutions, like All India Council of Technical Education are coming up now. These type of institutes are created by the Department. But they are not connected with the universities. They are giving permission for starting Engineering and Medical colleges. Parliament is not having any control over them. If the Members of Parliament ask them some particulars, they are not ready to supply the particulars. Even the Prime Minister of India replies to the Members of Parliament. But these people are not ready to respond to these queries. That is the situation we are facing. So, I would like to suggest that all the universities and autonomous institutions which are getting the funds from the Union Government should have representatives from Parliament. The universities which are falling in a particular constituency, the Member of Parliament of that constituency should automatically become a member of its syndicate. Then only can we find out their grievances and in that way we can help them. It is because the Central Government is giving the funds to the universities. The State Governments are not giving any money. Only the UGC is giving them the money. Therefore, we have to see that people's representatives should be represented in the Senate. In that way we are not interfering politically. But we can have people who have academic interest. They can help the university to achieve excellent standards.

I would like to suggest that universities should be modernised. In the Western countries, the students get the mark sheets immediately after the examinations. The mark sheets are prepared immediately, and on the same day the certificates are issued. But here what happens? The Students after writing the examination have to wait for so many months for getting their mark sheets. Then, they have to wait for the provisional certificate and then they have to wait for the degree to be conferred. Then only can they register their names for the professional courses or for the jobs. This situation has to be changed. They should be modernised in every aspect.

The academic councils should also change their colours. The system should change. The education system should be modernised. It should not be done in an orthodox way. Some universities and some deemed universities are not having vice-chancellors. For example, Gandhigram University is without a Vice Chancellor for so many months now. It has been lying vacant for so many months. It seems that the Vice President of India also has cleared it. But it is pending. These vacancies should be filled up immediately. When the present person who is occupying the position is going to retire or complete his term, immediately a replacement should be found so that continuity can be maintained. The management of the university is also not put to any inconvenience by our system of bureaucracy which is not clearing the names at the appropriate time.

When we repeal this Bill, we should introduce another Bill. The hon. Minister is a scholar. He knows the ambition of the society, professors and the staff. The new Bill should cover all the aspects including the disputes which are arising between the administration and the professors. It should be a comprehensive Bill which is useful for all the States.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय सभापति जी, आदरणीय सदस्य श्री राजो सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको एक मिनट बोलने दीजिए। अभी तीन लोग एबसेंट हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : एक मिनट में सैकिण्ड 60 ही होंगे न?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : एक मिनट में सामान्यतया 60 सैकिण्ड ही होते हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : कभी-कभी ज्यादा भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : यह बिल बहुत सीमित बिल है। यह बिल राज्य सभा से पास होकर आया है। यह बिल जब पास हुआ था, उस समय जिस सदन ने इसको पास किया था, उसका एक सदस्य भी इस समय जिंदा नहीं होगा। यह बिल 97 र्वा पहले आया था। इस बिल को रद्द करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने हमारे सामने रखा है। इसी सिलसिले में कुछ शब्द अपने राज्य की और देश की शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं को सामने रखे गये, मैं भी इस अवसर से लाभ उठाना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार राज्य की पटना यूनिवर्सिटी बहुत नामी-गिरामी यूनिवर्सिटी है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने वहां से शिक्षा ग्रहण की, जयप्रकाश बाबू ने भी शिक्षा ग्रहण की। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अपना बिल पास कराने आएंगे, अपने मंत्रालय की डिमांड लेकर आएंगे तो पटना यूनिवर्सिटी को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिणत करें।

यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU (TENALI): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Indian Universities (Repeal) Bill, 2000. I also congratulate the hon. Minister for having brought this Bill to repeal the Indian Universities Act of 1904. In this connection, I would like to make only one suggestion. I am not going to make a lengthy speech here.

As one of the Members has suggested, there is a need to evolve a uniform code of conduct for all the universities. In most of the universities there is no uniformity. In the name of autonomy they have been looking after their own affairs. Neither the State Government, the UGC nor the Union Government is looking into the qualitative aspect of the universities thereby the quality of the training being imparted is gradually getting eroded. This is one aspect which we have to look after. The UGC and the State Government are not going into the qualitative examination of some of these universities. So, there is a need to evolve a uniform code of conduct for all the universities

There should also be the qualitative assessment of the teachers available in all the universities. The standard of the teachers available in these universities is also not up to the mark. I had also taught in a university for about 26 years. There is hardly any mechanism or machinery to assess the qualitative aspect of the teachers. One of the aspects which need to be introduced is the qualitative assessment of the teachers, whether they are achieving the excellence as far as standards are concerned. Under the able guidance of the hon. Minister it will certainly be possible to set the things right

Most of the universities are starving for fund. The block grant either from the UGC or from the respective State Government is not being released timely. Some of the universities are starving even to release the salaries of their employees. The maintenance of laboratories or libraries also suffers on this account. I just wanted to bring these few aspects before the august House. Thank you for giving me this opportunity to speak.

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ.मुरली मनोहर जोशी) : सभापति महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज के इस विधेयक में केवल इस विधेयक की, अधिनियम के निरसन के बारे में ही बहस नहीं की गई, बल्कि उच्च शिक्षा से सम्बन्धित बहुत से ऐसे सवाल भी सामने रखे गए हैं, जिन पर यह सदन यथासमय विचार करता, जबकि आगामी बजट के अवसर पर यह मौका आता और उन तमाम प्रश्नों पर हम यहां ि वचार करते। लेकिन फिर भी सवाल उठाए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं।

एक सवाल उठाया गया कि विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में बहुत से अध्यापक चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद वापस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भी पहुंच जाते हैं। अब यह एक ऐसा सवाल है जिसको अंतरराट्रीय जगत के साथ मिलाकर देखा जाए और भारत की पृठभूमि को भी मिलाकर देखा जाए। हमारे देश में ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान किया। उस समय यहां के विश्वविद्यालयों के अध्यापकों ने एक राजनैतिक स्वतंत्रता का, स्‍ वाधीनता का वातावरण विश्वविद्यालयों के अंदर बनाया। कोठारी कमीशन ने इस बात की विस्तृत चर्चा की। उनहोंने यह कहा कि राजनैतिक जीवन में देश की राजनैतिक मूलधारा में समाज के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए बौद्धिक जगत से, विश्वविद्यालय से, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से एक प्रतिनिधियों की संख्या भारत की विभिन्न विधान सभाओं में और संसद में होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सिफारिशें की थीं, जिसे अनेक राज्यों ने माना। केन्द्र ने भी माना। जो इस दृटि से कानून बने हुए हैं, उनमें बड़ी स्पट व्यवस्थाएं हैं कि किन शर्तों पर विश्वविद्यालयों के अध्यापक चुनाव लड़ सकेंगे और चुनाव जीत जाने की परिस्थिति में उनको क्या करना होगा।

मैं यह मानता हूं कि इस सदन में समाज के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। हमारे देश के किसानों का, मजदूरों का, दलितों का और महिलाओं का जहां प्र ातिनिधित्व होना आवश्यक है, वहां आज के वैज्ञानिक युग में समाज से सम्बन्धित टेक्नोलॉजी से लोगों का, कृाि विज्ञान से सम्बन्धित लोगों का, अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना तथा प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित लोगों का प्रतिनिधित्व होना भी आवश्यक है। इसलिए इस प्रश्न पर हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे देश में अनेक विश्वविद्यालयों से और अनेक स्थलों से प्राध्यापक आगे आए और उन्होंने देश की राजनीति में, संसद की कार्यवाही में विधान सभा की कार्यवाही में बहुमूल्य योगदान दिया है।

एक सम्मानित सदस्य स्वयं अध्यापक हैं। राज्य सभा में भी हैं। यहां अनेक सदस्य ऐसे बैठे हुए हैं जो अध्यापक थे और हैं और मंत्री भी हैं। मैं भी जब पहली बार सदन में चुनकर आया था तो उस समय विश्वविद्यालय का अध्यापक था और बाद में भी जब चुनकर आया, तब भी रहा। इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं कानून में बनी हुई हैं, उनके विश्वविद्यालयों की कार्य परिदें ठीक ढंग से पालन करें और जिस संख्या में और जिस परिस्थिति में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, वह दी जानी चाहिए।

बहुत से राज्यों में अध्यापकों को विधान सभा और विधान परिाद का चुनाव लड़ने में प्रतिबंध है। उन राज्यों में और विश्वविद्यालयों के कानून है, उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन बहुत से राज्य और विश्वविद्यालयों में संसदीय और विधायिका में प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था है। मैं समझता हूं वह उचित है। इसी सदन में चुनाव लड़ने के लिए प्रोफेसर मेघनाद साह जैसे विद्वान व्यक्ति आए और दक्षिण से अनेक लोग आए।

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : Mr. Minister, if you could yield for half a minute, I would like to make

a submission.

I was one person who had been made to resign. I was teaching in the university for about 26 years. When I wanted to contest the elections, the statutes of my university said that I would have to contest only after resigning my post, no matter whether I win or lose the elections. Whereas in some universities a teacher is allowed to act as a legislator and then come back to teaching. That is why there is a necessity to bring about a uniform code throughout the country. There is also a necessity to have representation of various universities in legislatures. You better have it as this is one of the good measures.

डा. मुरली मनोहर जोशी :हमारी मान्यता यह है कि यह व्यवस्था ठीक है, जायज है और रहनी चाहिए। कुछ मित्रों ने कहा कि आजकल इस सरकार की तरफ से विश्वविद्यालयों में वातावरण को दूति किया जा रहा है, साम्प्रदायिकता फैलायी जा रही है, हिडन एजेंडा लागू किया जा रहा है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए जो भी चयन समितियां, सलेक्शन कमेटीज बनाई हैं, उन सबके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं। जस्टिस जे.एन.वर्मा, जस्टिस पाठक, जस्टिस भगवती ये नाम हैं जो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की चयन समितियों के अध्यक्ष रहे हैं। इससे अधिक ट्रासपेरेंसी और क्या हो सकती है? बाकी नाम तो विश्वविद्यालयों के लोग अपने यहां से भेजते हैं। नियम यह है कि विश्वविद्यालयों की तरफ से दो नाम आते हैं और एक नाम विजिटर की तरफ से आता है जो कि हमारे देश के महामहिम राट्रपति जी हैं, उनको हम सिफारिश करते हैं।

मैं जब से इस मंत्रालय में आया हूं, एक भी सलेक्शन कमेटी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सिवाय किसी नये विश्वविद्यालय को छोड़कर क्योंकि जब कोई नया विश्वि वद्यालय बनता है, उसमें तो मिनिस्टर का अधिकार होता है, बाकी का अधिकार राट्रपति महोदय का है। हमारी सिफारिश हमेशा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के लिए रहती है और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमेशा उनकी नियुक्ति की है। मैं नहीं समझता कि आज से पहले कभी भी किन्हीं भी विश्वविद्यालयों की चयन समितियों में इतनी पारदर्शिता रही हो जितनी आजकल रही है तथा मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप मंत्रालय की तरफ से कभी नहीं हुआ और जब तक मैं मंत्री रहूंगा तब तक कभी वाइस चांसलर की नियुक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, किसी भी संस्था के अध्यक्ष को बनाने में चाहे वह एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो, कोई भी संस्था हो, हमने इस मामले में चयन की पारदर्शिता को कभी खंडित नहीं होने दिया। मैं इस बारे में विश्वास के साथ, पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि वही व्यवस्था हम आगे रखेंगे। आप अच्छी व्यवस्था के लिए सुझाव देंगे तो हम उस पर भी ि वचार करेंगे लेकिन मेरा निश्चित मत है कि विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में नियुक्तियों के मामले में बाहरी हस्तक्षेप मैरिट के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं होने चाहिए। अब अन्दरूनी नियुक्तियों के बारे में हमारा अधिकार नहीं होता, विश्वविद्यालय की अपनी प्रक्रियाएं हैं, उनके हिसाब से नियुक्तियां होती हैं लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर सम्मानित सदस्य मेरे सामने किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का ऐसा मामला लाएंगे जिसमें चयन समितियों के द्वारा की गई नियुक्तियों में मैरिट के अलावा किसी राजनैतिक कारण का या राजनैतिक आधार का सहारा लिया गया हो तो मैं अवश्य उस मामले में उन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सावधान करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यह बात ऐसे सम्मानित सदस्य कह रहे हैं जिनकी अपनी सरकार के अंदरâ€¦(व्यवधान)

SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): I can give you facts and figures.

Anita

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: You can give me; I will have them examined. But what about those Governments which appoint Vice-Chancellors purely on the basis of party affiliations? What about those Governments which appoint non-Sanskrit scholars as Vice-Chancellors of Sanskrit Universities? What about those who are violating all recommendations and all procedures of appointment?

इनको तो कम से कम यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूं, अगर आप किसी राज्य विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो माफ कीजिए वह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, वह राज्य के कानून के अंतर्गत काम करते है लेकिन मैं वहां के कुलाधिपति और कुलपति को आपकी भावनाओं से अवगत करा दूंगा और उसकी जांच करा दूंगा। लेकिन जो चयन समितियां केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बनाई जाती हैं उनका निर्णय भी राट्रपति जी करते हैं और हम जो उन्हें पैनल भेजते हैं उनमें से वे जिसे भी नियुक्त कर दें, उसमें हमने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। अगर वे कभी दूसरी राय भी रखते हैं तो हमने हमेशा उसका आदर किया है। इसलिए मैं आपको बहुत स्पट रूप से कहना चाहता हूं कि आज तक हमने कभी भी महामहिम राट्रपति जी की राय पर हस्तक्षेप नहीं किया। यह कहा जाता है कि हम कोई हिडन एजेंडा लागू कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम न तो केन्द्रीय सरकार तय करती है और न ही यूजीसी तय करती है। यूजीसी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देती है कि ये कोर्सेस होने चाहिए और उसमें इस स्टैंडर्ड के पाठ्यक्रम होने चाहिए। पाठ्यक्रम क्या हो, वह विश्वविद्यालयों के अध्यापक अपने बोर्ड ऑफ स्टडीस से पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से तय करते हैं और फिर वे उनकी विद्वत परिाद से, एकेडेमिक काउंसिल से स्वीकृत होते हैं। उसके बाद वे पाठ्यक्रम लागू होते हैं, कोई पाठ्यक्रम सरकार के कहने से लागू नहीं किया जा सकता है। हां, कुछ सरकारें ऐसी जरूर हैं कि जहां पार्टी के आफिस बेयरर की राय से अध्यापक नियुक्त किया जाता है, वहां से बिना क्लियरेंस लिए प्राइमरी स्कूल का मास्टर भी नियुक्त नहीं होता, विश्वविद्यालयों के अध्यापक होने की बात तो दूसरी है। वहां जरूर पाठ्यक्रम ऐसे ही तय होते हैं। मेरे पास वहां के पाठ्यक्रमों की पुस्तकें हैं, जिन्हें मैं दिखा सकता हूं कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है। भारत के स्वाधीनता इतिहास को किस तरह से विकृत किया जा रहा है और उसमें किन नेताओं के संबंध में देश के महान नेताओं के बारे में क्या लिखा जा रहा है तथा यहां के महापुरुों के बारे में क्या लिखा जा रहा है, उसका फैसला तो यह देश करेगा।...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : इसकी एक दिन पार्लियामेंट में चर्चा हो जाए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : कई बार हो चुकी है।

MR. CHAIRMAN : Shri Rupchand Pal, the Minister is not yielding.

...(*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Shri Rupchand Pal, please sit down. मैंने आपकी बात बहुत शांति से सुनी है, कृपया आप भी मेरी बात शांति से सुनिए।...(व्यवधान) यह भी कहा गया कि यह सरकार शिक्षा को प्राइवेटाइज़ करना चाहती है, हमने तो कभी शिक्षा को प्राइवेटाइज़ नहीं किया। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि न ही हम शिक्षा को कोई कमोडिटी समझते हैं, हम शिक्षा को शिक्षा समझते हैं और शिक्षा के उद्देश्य को समझते हैं तथा शिक्षा को एक बेहतर भारतीय समाज और मानवीय समाज बनाने की दृटि से काम कर रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने अभी तक एक भी कदम उस नीति से हट कर नहीं उठाया है जो सदन ने 1986 में न्यू एजूकेशन पॉलिसी के नाम पर तय की थी। हमने जो कुछ किया है उस नीति के अंतर्गत किया है क्योंकि वह नीति सदन से अनुमोदित हुई थी। अगर हमारे पाठ्यक्रम के फ्रेमवर्क में, जो मैंने हिन्दुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों को भेजा है और हिन्दुस्तात के सभी पोलिटीकल पार्टियों के नेताओं को भेजा है, उनसे कहा है कि आप हमें इसमें बताएं कि आपको इसमें क्या आपत्तिजनक लगता है और क्या संशोधन की जरूरत है। हमने बिलकुल खुल कर डिबेट की है और उसका एक भी वाक्य आप हमें दिखा दें कि वह इस सदन के द्वारा अनुमोदित नीति के विरूद्ध है या उससे हट कर है तो हम उसे वापस कर देंगे। यह हमने खुलेआम कहा है, उस पर बहस हो जाए। हमने सब को डाकुमेंट्स भेजे हैं, हम शिक्षा मंत्रियों से बात कर रहे हैं। जिस समिति ने उसके बारे में तय किया था, उसने देश के आठ-दस शहरों में जाकर डिबेट की है। इसलिए आप कोई कृत्रिम, मसहोई बात कहते रहे, एक नैराश्य होने का डंडा मारते रहे, हमने जो कुछ इंटरमीडिएट कक्षाओं, हाई स्कूल के लिए स्लेबस बनाया है, मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि वह हमारे देश की शिक्षा को बहुत आगे ले जाने वाला पाठ्यक्रम है। विश्वविद्यालयों के लिए भी हमने कभी कोई पाठ्यक्रम तय नहीं किया, मगर हमने उन्हें कहा जरूर है कि आप परम्परागत पाठ्यक्रम पर निर्भर मच रहिए, उससे देश की समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा। जिस पाठ्यक्रम को 40-50 साल हो गए हैं उन्हें बदलिए और मैं एक शिक्षाविद के नाते कहता हूं कि आज जिस तेजी से दुनिया बढ़ रही है और ज्ञान बढ़ रहा है तो हर पांचवे साल में पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण होना चाहिए और उसमें नयी-नयी बातें होनी चाहिए।

यह नहीं हो सकता कि आज भी हम पाठयक्रम में कम्युनिस्ट मैनिफैस्टो तो रखें लेकिन रूस के अंदर कम्युनिज्म का जो एक प्रकार से दिवाला निकल गया उसका उल्लेख न करें।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : क्या आप यह पढ़ाना नहीं चाहेंगे कि कम्युनिज्म क्या है? अगर नहीं तो इससे तो अर्थशास्त्र और राजनैतिक शास्त्र की रैली वेंस ही खत्म हो जाएगी। आप शायद कुछ कहना चाहते हैं इसलिए यह बात कह रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : जरुर पढ़ाना चाहिए लेकिन कम्युनिज्म कैसे विफल हुआ यह भी पढ़ाया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि आपको कुछ तकलीफ होगी। मैंने कहा कि मार्कसिज्म और कम्युनिस्ट मैनिफैस्टो को ही पढ़ाया जाए और उसके आधार पर चलने वाली सोवियत व्यवस्था कैसे असफल हो गयी उसको न पढ़ाया जाए, यह नहीं चल सकता। हम जानते हैं कि आज आप इनसे दोस्ती करना चाहते हैं।

MR. CHAIRMAN: Shri Pawan Kumar Bansal, he is not yielding.

...(*Interruptions*)

DR. MURALI MANOHAR JOSHI: Yes, I am not yielding. ...(*Interruptions*)

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, we thought him to be a little more informed. ...(*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, the word "communism" should not be an anathema for him.

DR. MURALI MANOHAR JOSHI: I have not said it. What I have said is this....(*Interruptions*)

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): A socialist society is a knowledge-based society. No "ism" will work. We want a knowledge-based society. Only knowledge can sustain us.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अगर पूंजीवाद पढ़ाया जाए तो उसके फैल्योर भी पढ़ाए जाएं, यह सवाल है। सम्मानित सदस्यों ने अभी एक बात कही कि विश्वविद्यालयों के स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं और "नेशनल एक्रीडेशन एंड असैसमेंट कॉउंसिल" इसी लिए बनी है। मैं इससे सहमत हूं कि विश्वविद्यालयों के अध्ययन-अध्यापन और गुणवत्ता पर गहराई से विचार होना चाहिए और उससे उन्नयन के लिए काम किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले को ठंडे दिल से विचार किया जाना चाहिए। जहां आप शिक्षा की उन्नति के लिए इतने अच्छे विचार दे रहे हैं और इस सदन का ध्यान आकृट कर रहे हैं कि इस पर मजबूती से काम करने की जरुरत है तो " नेशनल एक्रीडेशन एंड असैसमेंट कॉउंसिल" के काम को करवाने में हमारी मदद करें। पहले सन 2000 तक विश्वविद्यालयों को अपने स्तर की जांच करवाने की बात रखी गयी थी। हम फिर उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि भाइयो, इस स्तर के मामले में अन्तर्राट्रीय स्तर तक पहुंचने में आप अभी कितने पीछे हैं इस बात को भली-भांति समझ लीजिए। अभी हमारे एक मित्र ने बतलाया कि मद्रास में विश्वविद्यालय पांच-सितारा विश्वविद्यालय बने हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे कोई पक्षपात के साथ तो नहीं बने। उसकी कमेटी के बारे में कोई बात हो कि वहां पक्षपात था और वहां माननीय करुणानिधि जी ने बैठकर उसको पांच-सितारा विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट दे दिया और उसको मान लिया गया। ऐसी बात नहीं है। विद्वान लोग वहां जाते हैं और उसमें एक आदमी नहीं होता है, एक पूरी कॉउंसिल है और वह खुले रूप से विचार करती है और उसके मानदंड तय हैं कि उन विश्वविद्यालयों में क्या सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी है या नहीं है, पुस्तकें कितनी हैं, छात्रावास कैसे हैं, अध्यापक हैं या नहीं है, रिसर्च हो रही है या नहीं हो रही है - यह सब मानदंड उसमें लिखे हुए हैं। वह मानदंड सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक हैं। वे जिस स्तर पर पहुंचते हैं वही उसकी रेटिंग होती है और यह अन्तर्राट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त चीज है। हमारे मित्र बता रहे थे कि दुनिया में हमारे शिक्षा-संस्थानों की कदर होनी चाहिए। लेकिन वह तभी होगी जब हमारे विश्वविद्यालय की अन्तर्राट्री रेटिंग होगी। जब उन्हें मालूम होगा कि यह पांच-सितारा, चार सितारा या तीन सितारा विश्वविद्यालयों से पढ़कर आये हैं तो वे समझ जाएंगे कि इनका स्तर क्या है? इसमें किसी प्रकार की झिझक हमें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विश्वविद्यालय स्तर में कम है तो उसके स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हमें विचार करना होगा और हम उनकी मदद भी करेंगे। जहां कमियां हैं वे भी बताएंगे और उनको सुधारने के लिए मदद भी करेंगे। मगर यह नहीं हो सकता है कि विश्वविद्यालय खुल जाएं और उनमें सुविधाएं न हों और वे सभी बराबर मान लिये जाएं। इसलिए अपने सभी माननीय सदस्यों की तरफ से जब भी किसी विश्वविद्यालय की बात की जाए कि एक्रीडेशन नहीं होना चाहिए।

उसका वे समाधान करें और उन्हें समझायें कि एक्रीडिटेशन आवश्यक है। अगर सदन की ओर से इस संबंध में कुछ सुझाव आते हैं या माननीय सदस्य इस संबंध में बतायेगे कि एक्रीडिटेशन और उसको ट्रासपीरेंट बनाने के लिये क्या करना चाहिये, उस पर हम विचार करेंगे और जो जरूरी होगा, उनको हम स्वीकार भी करेंगे। हम चाहते हैं कि इस संबंध में सदन हमारी मदद करे। माननीय सदस्य अपने अपने राज्यों को प्रोत्साहित करें कि वे एक्रीडिटेशन करायें । श्री बंसल जी विश्वविद्यालयों की परिस्थिति से परिचित हैं। वे स्वंय पंजाब विश्वविद्यालय् से संबंधित रहे हैं। आप उनसे पूछें कि एक्रीडिटेशन के फार्मस और नार्म्स क्या हैं। उसमें आपके जो सुझाव होंगे, हम उन पर जरूर विचार करेंगे और कौंसिल को भेजेंगे कि ये सुझाव अंदर शामिल करो। एक्रीडिटेशन और बेहतर हो, उसका विरोध नहीं होना चाहिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमें भी पता चले कि किस विश्वविद्यालय का स्तर कहां है।

आज देश में लगभग 250 विश्वविद्यालय हैं जिसमें कहा जाता है कि एक सैंटर फार एक्सीलेंस बनना चाहिये। कोई भी सरकार 250 विश्वविद्यालयों में सैंटर आफ एक्सीलेंस नहीं बना सकती। जिनमें क्षमता है, उनको छांटना पड़ेगा। मैंने स्वयं कैबिनेट में इस बात की सलाह दी थी। इसके लिये एक कमेटी भी बनी हुई है जो छांटने का काम करेगी कि किस तरह से केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अंतरराट्रीय लैवल पर ले जाने के लिये सैंटर फार एक्सीलेंस बनायें। इसमें वैज्ञानिकों की राय ली जाये कि हमारा बैंच मार्क क्या है। आपके जो सुझाव आयेंगे, उन्हें हम सहज में स्वीकार करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि आप शैक्षणिक संस्थाओं से सम्पर्क करें और जो वास्तविक कठिनाइयां हैं, उनके बारे में बतायें। हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे।

यह कहा गया है कि इसमें रीजनल इम्बैलेंसेज़ है। यह ठीक है लेकिन ऐसा कुछ ऐतिहासिक कारणों से हैं जिन्हें हम यथाशक्ति दूर कर रहे हैं। इसीलिये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का रास्ता निकाला गया है ताकि हम कानूनी झंझटों में पड़कर व्यर्थ ही समय खराब न करे और विलम्ब न हो। यदि राज्य सरकार उसके लिये सहमत है तो हम उन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे लेकिन एक्रीडिटेशन कराना होगा, वे उस दायरे से बाहर नहीं। अगर कुछ संस्थायें अच्छी निकलती हैं तो उन्हें आगे लायेंगे और उन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनायेंगे। हमने नैनी इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनाया है। यह बहुत सालो से रुका हुआ था। माइनौरटीज इंस्टीट्यूट है जो क्रिश्चियन्स रन करते थे। उसको पूरा एग्जामिन किया गया और यह देखा गया कि यह अपने स्तर पर है और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। श्री धर्मराज सिंह जी को खुश होना चाहिये कि यह कोशिश की जा रही है। आप शिक्षा का स्तर बढ़ायें, शिक्षा को फैलायें मगर दोनों में सामंजस्य् बैठाना पड़ेगा। ऐसा न हो कि शिक्षा का स्तर न बढ़े और उसका विस्तार होता जाये। ऐसा भी न हो कि शिक्षा बढ़े लेकिन उसका विस्तार न हो। हम इसके लिये पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि इस मामले में बहुत सी संस्थाओं की तरफ से डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनाने के लिये आवेदन पत्र आये हैं जिन पर यू.जी.सी. विचार कर रहा है।

एक सवाल यहां पर उठाया गया कि विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में गिरावट आयी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

SHRI V.M. SUDHEERAN (ALLEPPEY): The Government has sent a proposal for giving the status of a `deemed' university to Kerala Kala Mandalam.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The UGC is examining it. I have those details on my fingertips. Do not worry about it. मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में कमी आयी है, कुछ में गुणवत्ता बढ़ी भी है लेकिन राज्य सरकारों द्वारा चलाये गये कम विश्वविद्यालयों में यह गुणवत्ता बढ़ी है और ज्यादातर में यह गुणवत्ता या तो अपनी जगह पर है या गिरी है।

श्री राजो सिंह जी ने बिहार का उदाहरण दिया, मैं मानता हूं कि पटना विश्वविद्यालय एक समय देश के बहुत ही प्रतिठित विश्वविद्यालयों में से एक था और हाल ही के 10-15 साल पहले तक पटना विश्वविद्यालय के कुछ संकाय, कुछ फैकल्टीज अपना बहुत ही ऊंचा स्तर रखती थीं। लेकिन जिस तरह के हालात बिहार के अंदर पिछले सालों में हुए हैं उससे पटना विश्वविद्यालय को भी गहरा नुकसान पहुंचा है। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की अगर कई महीनों तक इस बारे में हड़ताल चलती रहे कि जो वेतनमान दिये जाने चाहिए थे, वे नहीं मिले हैं और जिसका पैसा केन्द्रीय सरकार दे रही है तो उससे स्तरों में गिरावट आती है, परीक्षाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं और स्तर खराब हो जाते हैं। हम यह जरूर चाहेंगे कि अगर वहां राज्य सरकार कदम बढ़ायें और पटना विश्वविद्यालय के लिए कुछ ठोस योजनाएं बनायें, जिसे यू.जी.सी.स्वीकार करे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम वहां बन सके और पटना विश्वविद्यालय का स्तर ऊंचा उठ सके। हम जरूर चाहेंगे इस क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय बढ़े।

मैं आपको बताऊं कि हमने टैक्नीकल एजूकेशन की जो आई.टी. की रिपोर्ट थी, उसमें हमने बिहार इंजीनियरिंग कालिज वगैरह ऐसी संस्थाओं का उच्चीकरण करने की सिफारिश की हुई है। लेकिन हमें इस बारे में बिहार सरकार से भी सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं के प्रबंध की जिम्मेदारी वहां उनके पास है। जिस तरह से वे आगे आना चाहते हैं हम उनका उन्नयन करने में कभी पीछे नहीं रहेंगे।

सम्मानित सदस्य ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में एक सवाल उठाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों का एक सम्मेलन अभी पिछले दिनों दिल्ली में हुआ था। उसमें न केवल भारत में बी.एच.यू. के पुरातन छात्र बल्कि विदेशों में बी.एच.यू. के जो छात्र गये हैं, वे सभी आये थे और उन्होंने एक समिति का निर्माण करने की सिफारिश की है, जिसे हमने स्वीकार किया है और उस समिति से हमने यह कहा है कि वह बी.एच.यू. के बारे में, वहां की कार्य प्रणाली के बारे में और वहां की प्रगति के लिए अन्य सुझावों के बारे में हमें सहायता दे, हमें मदद करे और यह भी बताये कि वहां के पुरातन छात्र बी.एच.यू. के लिए किस तरह से मदद कर सकते हैं। आपको जानकार खुशी होगी, यह कहा जा रहा है कि हम शिक्षा को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, नहीं, हम उच्च शिक्षा के अंदर एक छोटा सा यह प्रश्न रख रहे हैं कि भाई आप उच्च शिक्षित होकर गये। आपको समाज ने इतना खर्च करके पढ़ाया, आपको डाक्टर बनाया, आपको इंजीनियर बनाया, आपको प्रोफेसर बनाया। जिस संस्था ने आपको इस लायक बनाया, उस संस्था के लिए आपका कुछ फर्ज बनता है या नहीं। भारतीय परम्परा में यह फर्ज हम लोग स्वीकार करते हैं कि ऐसी शिक्षा संस्थाओं के लिए हम कुछ करें। हमारे यहां यह परम्परा रही है।

सभापति महोदय, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं वहां का हर कमरा समाज के किसी न किसी व्यक्ति ने अपने माता-पिता, दादा-दादी, बहन-भाई आदि के नाम पर बनवाया था। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है। शिक्षा संस्थाओं में ऐसी मदद समाज के द्वारा मिले और यह मदद आज भी मिल रही है। यह मदद एक फोकस्ड रूप में विश्वविद्यालय के पास आये, हम इसकी चेटा कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जब यह सवाल हमने आई.आई.टी के छात्रों के सामने रखा था तो उनमें से अनेक छात्रों ने यह पेशकश की है कि वे आई.आई.टी. की उन्नति के लिए, वहां रिसर्च बढ़े, वहां अच्छी फैकल्टीज आयें, इसके लिए अपनी सम्पत्ति में से दान देना चाहते हैं। हमने उस दान को स्वीकार करने के लिए कुछ शर्ते लगाई हैं। हम उसे बिना किसी ऐसे रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनका अधिकार उन संस्थाओं के ऊपर हो जाए। हमने उनसे कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं, अगर आप अपने कर्त्तव्य के रूप में अपना अंशदान यहां देना चाहते हैं। हम इसे जरूर स्वीकार करेंगे, हम उसे लेंगे, इसकी जरूरत है।

अभी मैं गुजरात गया था, कहा जाता है कि हमारी नीति क्या है, आपको जानकर खुशी होगी, आज मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमने 29 जनवरी को सारे गुजरात की शिक्षा का और शिक्षा संस्थाओं की स्थिति का मोटा सा आकलन किया तो 29 तारीख को डेढ़ सौ करोड़ रुपये फॉर दि रीकंस्ट्रक्शन ऑफ गुजरात ऐजूकेशन् हमने अपनी मिनिस्ट्री के फंड से इसी साल के बजट में दिया है।

प्रधान मंत्री राहत कोा या बाकी लोगों ने जो दिया वह अलग है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गुजरात में भारी भूकंप के बाद भी वहां दसवीं कक्षा, बारहवीं कक्षा और विश्वविद्यालय की प्रत्येक परीक्षा समय पर होगी, रिज़ल्ट्स समय पर निकाले जाएंगे और पढ़ाई चालू है। सब विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। हमने जितना भी उनका नुकसान हुआ है, उसका मूल्यांकन करके उनको पैसे दिये हैं, बल्कि उससे ज्यादा पैसे दिये हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने गुजरात में वे बच्चे जो अनाथ हो गए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की है। जो बच्चे आज सदमे में हैं, जो अभी तक उस विभीाकिा की याद से उभर नहीं पाए हैं, उनके लिए हमने ट्रॉमा रिकवरी सेन्टर्स बनाए हैं। वे बच्चे जब मलबे का ढेर देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि उनका कोई रिश्तेदार उसमें दबकर मर गया था। वे बच्चे भयग्रस्त हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए हमने व्यवस्थाएं कर दी हैं। 29 जनवरी से 17 फरवरी के बीच के 18 दिनों में हमने ये व्यवस्थाएं की हैं। हम शिक्षा के लिए चिन्तित हैं और हमारा दृढ़ मत है कि ऐसा करने में हमेशा शिक्षा और शिक्षा संस्थाओं की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक सवाल विश्वविद्यालय के लिबरलाइजेशन के संबंध में उठाया गया। हिन्दुस्तान में यह प्रचार कई बार किया जाता है कि शिक्षा इस तरह से लिबरलाइज की जा रही है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहती है। यह बिल्कुल भ्रामक बात है। संविधान में 6 से 14 वर्ा तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार पर डाली जा चुकी है। उससे कोई बच नहीं सकता। इसके बाद भी संविधान केन्द्र सरकार के प्रति एक जिम्मेदारी डालता है स्टैण्डर्ड्ज को ठीक रखने का, कोर्डिनेशन करने का और सरकार को यह उम्मीद है कि हमारी जो नीति है कि अगर इस देश ने उन्नति करनी है, अगर इस देश को हमें आगे ले जाना है तो हमारे देश के नौजवान उच्चतम शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनमें प्रतिस्पर्द्धा हो और हम उन्नति करें। उसमें सरकार आगे आएगी, उद्योगपति आगे आएंगे और पुराने छात्र आगे आएंगे। यह सम्मिलित प्रयास हो, इसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटेगी नहीं, लेकिन सरकार बाकी समाज को भी अपनी जिम्मेदारी से परिचित कराएगी। हमने उद्योगपतियों के साथ यू.जी.सी. के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी के साथ बराबर विमर्श किया है और हम जानते हैं कि जब तक आने वाले

10-20 सालों की औद्योगिक नीति, रिसर्च नीति और शिक्षा नीति में तालमेल नहीं होगा, तब तक देश की बहुत सी समस्याओं का निवारण नहीं होगा। इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि देश को इन नए वियों की आवश्यकता है। उन नए वियों की तरफ विश्वविद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। यह हिडन एजेन्डा नहीं है, सैफ्रनाइजेशन नहीं है, मॉडर्नाइजेशन है। शिक्षा को भारत के वर्तमान और भविय से जोड़ने का प्रयत्न है। अभी जनगणना के आंकड़े आएंगे तो आपको पता लगेगा कि पिछले दो-तीन सालों में हमने शिक्षा में क्या प्रगति की है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो कुछ नए आंक़ड़े आ रहे हैं, जो सर्वेक्षण किये गये हैं, एन.एस.एस.ओ और एन.एफ.टी. के द्वारा, वे बहुत उत्साहजनक हैं और देश को प्रसन्न होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं।

एक बात फीस की उठाई गई। मैं इस बारे में बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि फीस बढ़ाने का उद्देश्य गरीब छात्रों को वंचित करना नहीं है। मैं जब विश्विद्यालय में पढ़ता था तो मेरी बी.ए. की फीस 12 रुपये जाती थी और विश्वविद्यालय के एक अध्यापक की तनख्वाह 250 रुपये से 300 रुपये होती थी। आज सन् 2001 में भी अनेक विश्वविद्यालयों में फीस 12 रुपये या 15 रुपये है जबकि अध्यापक की तनख्वाह 12000 रुपये से 15000 रुपये है। जब मैं पढ़ता था तो इंटरनेशनल जर्नल का दाम करीब 1500 रुपये था और आज वह 15000 रुपये से 20000 रुपये में आता है।

जब मैं पढ़ता था तब भी होस्टल के डबल सीटेड रूम का किराया दस रुपया था और आज भी बहुत से विश्वविद्यालयों में वही है। उस जमाने में बिजली की यूनिट दो आने या चार आने होती थी लेकिन आज वह कहां पहुंच गई है ? यह यूज़र्स के चार्जेज, बिजली खर्च का पैसा कौन देगा? होस्टल में जो छात्र रहेंगे, वही देंगे या उन्हीं के अभिभावक देंगे।

आज यह कहा जाता है कि गरीब और निर्धन वर्ग के छात्रों को ऊंची शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो यह बात गलत है। मैं आपको बड़े शहरों के उदाहरण देता हूं कि वहां क्या हो रहा है। दिल्ली के विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है ? जो बच्चे जिनके माता-पिता 1000 रुपये, 1200 रुपये, 2000 या 3000 रुपये महीना खर्च करके उन्हें पढ़ा रहे हैं, वह अच्छे अंक से इंटरमीडिएट पास कर रहे हैं और वही अपने अंकों के बल पर सेंट स्टीफन या बाकी और कालेजेस में आ रहे हैं। ऐसा हमने सर्वेक्षण कराया है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां सालाना खर्च 1 लाख 80 हजार रुपये प्रति छात्र है और वही छात्र जब विश्वविद्यालय में आये और 12 रुपये फीस दे और फीस बढ़ने के ऊपर आंदोलन करे तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। संभवतः सदन के सभी सम्मानित सदस्य भी उससे सहमत नहीं होंगे। हां, वे मेधावी बच्चे जो निर्धन हैं या जो 12 रुपये भी फीस के नहीं दे सकते, हम उनके लिए व्यवस्था करते हैं। उसके लिए उनको छात्रवृत्तियां दी जायें, पुस्तकें दी जायें और अगर जरूरी समझें तो उनको ऋण भी दिया जाये जिसको सोफ्टलोन कहते हैं लांग टर्म पैमेंट के आधार पर मगर उसमें भी कठिनाइयां आती हैं। जिन वियों के पढ़ने पर उद्यम या नौकरी सुनिश्चित है, उसके लिए ऋण सरलता से मिल जाते हैं लेकिन जिन वियों के पढ़ने के बाद कोई व्यवसाय, उद्यम, धंधा या नौकरी मिलना कठिन है, उनके लिए ऋण भी कठिनाई से मिलता है। हमारे देश में अभी ऐसे ट्रस्ट और फाउंडेशन नहीं हैं जैसे दुनिया में और स्थानों पर है जो छात्रों की मदद करते हैं। मैं चाहूंगा कि इस दृटि से देश विचार करे और कुछ न कुछ व्यवस्थायें उनके लिए की जायें। मगर सरकार के स्तर पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कोई मेधावी छात्र इसलिए शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा कि वह फीस नहीं दे पा रहा। यह मेरा सदन को आश्वासन है कि जो स्कीम्स हमने बनाई हैं, उसमें इस बात का प्रावधान है लेकिन जो दे सकते हैं, वे दें। जब मैं विश्वविद्यालयों के छात्रों को देखता हूं कि वे महीने में एक या दो बार और कुछ तो उससे भी ज्यादा सिनेमा जाते हैं तो आज सिनेमा के एक टिकट का दाम क्या है--50 या 100 रुपये। विश्वविद्यालय की फीस क्या है--12 रुपये। ऐसी स्थिति में अगर हम यह कहते हैं कि विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ाई जाये तो यह कोई अनुचित बात नहीं। इससे विश्वविद्यालयों के साधन भी बढ़ेंगे और विश्वविद्यालयों के पास कुछ अपना पैसा भी आयेगा। जो ऐसा खर्चा है जिसे वह बर्दाश्त कर सकते हैं जैसे सिनेमा का खर्चा छात्र बर्दाश्त कर सकता है तो फीस भी 12 रुपये के बदले 50 रुपये या जो भी विश्वविद्यालय तय करे, वह दे सकता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस सवाल को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। विश्वविद्यालय कहां से पैसा लायेगा। सरकार जितना दे सकती है, उसमें अगर 20 प्रतिशत भी वृद्धि हो जाये तो भी काम चलने वाला नहीं है। जिस गुणवत्ता की हम चिंता करते हैं और जिसके बारे में हम आग्रह कर रहे हैं तो उस गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ेगा और सबको मिलकर साथ देना पड़ेगा। मैं इस मामले में सदन का सहयोग चाहता हूं उन सभी लोगों से और खासकर उन सभी पार्टियों से जो फीस वृद्धि का विरोध अनुचित कारणों से कर रहे हैं। हां, अगर विश्वविद्यालय की फीस 1000 रुपये हो गई तो उसे जरूर हमारे सामने लाइये। हम उसको दुरुस्त करेंगे लेकिन एक सीमित दर से धीरे-धीरे विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ाने का एक बहुत ही उचित और सटीक तर्क है और उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालयों के कुछ अध्यापक अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं। सदन में कल इस मामले में एक प्रश्न आया था परन्तु दुर्भाग्य से सदन नहीं चल सका। उस प्रश्न के उत्तर में मैंने सब बातें स्पट की हैं। जुलाई 1998 में जो वचन हमने विश्वविद्यालय के अध्यापकों को दिये थे, उसमें से हमने हरेक को निभा दिया है। किसी को हमने पीछे नहीं छोड़ा है। जिस कैरियर प्रमोशन की बात की जा रही है, उसके बारे में यू.जी.सी. ने उन्हें साफ कह दिया है कि वह मान्य नहीं है। वह कैरियर प्रमोशन स्कीम कालेज में रीडर तक भी लागू है और विश्वविद्यालयों के विभाग में प्रोफेसर तक के लिए भी लागू है।

मैं सभी अध्यापक मित्रों से अपील करना चाहता हूं कि वे इस मामले को ठंडे दिल से सोचें। आज जब गुजरात जैसी त्रासदी हमारे सामने है, पिछले एक र्वा में जहां कारगिल युद्ध और उड़ीसा का सुपरसाइक्लोन और इतने बड़े प्रकरण हमारे देश में त्रासदी के हुए हैं, ऐसे समय उन्हें बच्चों के इम्तहान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनकी जो भी बातें हैं, वह यू.जी.सी. से हो रही हैं, होती रहेंगी, बातचीत से हमेशा चीजें सुधर सकती हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो बात संभव नहीं है, अनुचित है।â€¦(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : आपने अभी जो कहा, फैडकूटा के लोग कल हमसे मिले थे। विभिन्न दलों के कुछ एम.पीज़ और भी थे। सभी से मिले थे, बात हुई थी। हम नहीं जानते कि उनका केस कितना सही है, कितना गलत है। हमने केवल यह जरूर कहा कि हम मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि उनके पक्ष को भी सुन लिया जाए, वह भी सरकार के पक्ष को सुनें और कोई व्यावहारिक रास्ता निकाल लिया जाए। जहां तक परीक्षाओं के समय में हड़ताल या स्ट्रीट्स में आने का सवाल है, हम सारे मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैंट ने स्पट रूप से उनसे कह दिया कि यदि आप बच्चों के भविय के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारी कोई सहानुभूति आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं करेंगे।

â€¦(व्यवधान)

डॉ.मुरली मनोहर जोशी : बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इसी राय का हूं।

एक बात अंत में और कही गई है।â€¦(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : आप उन्हें बुला लें, बात कर लें।â€¦(व्यवधान)

डॉ.मुरली मनोहर जोशी : मेरी विद्यालय में उनसे पूरी बात होती रहती है कि इस मामले में एक नैशनल लैवल का बिल आना चाहिए जो सारे विश्वविद्यालयों के लिए एक गाइड का काम करे। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों में विभिन्न विचारधाराओं से शिक्षा के बारे में काम करने वाले लोग हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इस मामले में कोई कनसैन्सस बने और बिना शक-ओ-शुबहा के बने।

आज सवाल यह है कि अगर कोई अच्छे से अच्छा कदम उठाया जाता है तो उसका एक राजनैतिक विरोध जरूर कर दिया जाता है। वह आप करें लेकिन कम से कम

उसके अंदर जो शिक्षा की प्रगति के लिए कदम उठाए गए हैं, उनमें सुधार करने की और उनको आगे करने की मदद भी करें। शिक्षा से केवल मैं, मेरी पार्टी या मेरी सरकार ही प्रभावित नहीं है, सारा देश प्रभावित हो रहा है। बच्चे सभी राजनैतिक पार्टियों से संबंधित हैं। उनके माता-पिता किसी न किसी पार्टी में तो होंगे ही। यह देश है, जनतंत्र है। लेकिन देश की प्रगति के लिए सभी नवयुवकों का, उनकी प्रतिभा का विकास होना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : इसलिए आपको सही रास्ते में आना पड़ेगा। â€¦(व्यवधान)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: It is a hackneyed argument. Please do not beat the same thing. Nobody listens to it. ...(*Interruptions*) वह बहुत अच्छी तरह से सुन लिया गया है और माफ कीजिए, देश पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। सब लोग शिक्षा को उचित मान रहे हैं और हमारे कदम का समर्थन कर रहे हैं। आपको उसका विरोध करने की पूरी आजादी है और मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके विरोध के बावजूद यह देश शिक्षा में आगे बढ़ेगा और बढ़ कर दिखाएगा।â€¦(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : आपके एन.डी.ए. के अंदर भी लोग सहमत नहीं हैं।â€¦(व्यवधान)

डॉ.मुरली मनोहर जोशी : मुझे आपसे इतना ही कहना है कि आप पश्चिम बंगाल को शिक्षा में पीछे मत रखिए, उसे देश की मुख्य धारा के साथ मिलने दीजिए, उसे आगे लाने दीजिए, वर्ना मुझे कहने पर मजबूर मत कीजिए कि अनइम्प्लॉयमैंट रेट सबसे ज्यादा आपके यहां बढ़ रहा है।â€¦(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : एक करोड़ रिफ्यूजीस आए थे, सरकार की तरफ से क्या किया गया? आपने भी नहीं किया, पिछले कांग्रेस राज ने भी नहीं किया।

डॉ.मुरली मनोहर जोशी : शिक्षा के मामले में आपकी चिन्ता मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है।

â€¦(व्यवधान)मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विाय पर जो चर्चा हुई हैâ€¦(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : पंजाब यूनीवर्सिटी के रिसोर्सेस का मसला आपके पास है।

डॉ.मुरली मनोहर जोशी : मेरे पास अभी नहीं आया है। हो सकता है कि मंत्रालय में नीचे कमेटी के सामने विचार हो रहा हो।â€¦(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : कृपा करके आप उसको कर दीजिए,बहुत मुश्किल हो रही है।

डॉ.मुरली मनोहर जोशी : मेरे पास आएगा तो मैं उसे जरूर देखूंगा। लेकिन मुझे यह भी देखना पड़ेगा कि उसमें केन्द्र सरकार का कितना दायित्व है और किस-किसने अपना दायित्व नहीं निभाया है।â€¦(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : यूनियन टैरीटरी है, उस पर आप करवा दीजिए।

डॉ.मुरली मनोहर जोशी : मैंने आपकी बात सुन ली है और कहा है कि इस मामले में मेरे मंत्रालय से संबंधित जो बात होगी, उसको देखेंगे। यूनियन टैरीटरी का ि वश्वविद्यालय होने से वह गृह मंत्रालय के मार्फत हमारे पास आता है।

उस पर सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अधिकार नहीं है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार चलाती है, उससे सीधे हमारा सम्पर्क है, उस तरह से यदि पंजाब विश्वविद्यालय चलाती होती तो सीधे हमारे पास आता, लेकिन वह गृह मंत्रालय से घूम कर आता है। इसलिए उनके साथ विचार-विमर्श करना पड़ता है। हम उनसे विचार-विमर्श करेंगे। लेकिन आप पंजाब विश्वविद्यालय के उपकुलपति से तो संतुट हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : जी हां।

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह एक और नमूना है, हमारे चांसलर महोदय ने नियुक्ति की है, ढंग से नियुक्त किया है और पैनल को समझकर नियुक्त किया है।

श्री पवन कुमार बंसल : जो बात वे कह रहे हैं, वे मान लें। वहां हालत खराब हो रही है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपकी चिंता मैं समझता हूं, क्योंकि आप चंडीगढ़ से सम्बन्धित हैं। इसलिए उसका क्या भविय होगा, मैं समझता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : तीन करोड़ रुपए का डेफिसिट बढ़ा है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं सम्मानित सदस्यों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि जो आज यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसे पारित करें और इस 1904 के अधिनियम को हमारी स्टेचुटरी बुक से निकालने के लिए सरकार को आदेश दें। यह राज्य सभा द्वारा पारित हो चुका है इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसे स र्वसम्मति से पारित किया जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to repeal the Indian Universities Act, 1904, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1

संशोधन किया गया:

पृठ 1, पंक्ति 2,--

"2000"_के स्थान पर "2001" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(डा. मुरली मनोहर जोशी)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

संशोधन किया गया:

पृठ 1, पंक्ति 1,--

"इक्यावनवें" के स्थान पर "बावनवें"प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(डा. मुरली मनोहर जोशी)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह संशोधन विधेयक पारित किया जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.